भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2687†
उत्तर देने की तारीख : 07.08.2024

अल्पसंख्यकों का कल्याण और वित्तीय सशक्तीकरण

†2687. श्रीमती हेमामालिनी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश के अल्पसंख्यकों के कल्याण और वित्तीय सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त विशिष्ट कदमों के पर्याप्त सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ग) सरकार अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए हैं। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं

पिछले पांच वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की हैं, जिनके नाम हैं (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर और (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति। वर्ष 2022-23 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवरेज भी केवल कक्षा IX और X तक ही सीमित कर दिया गया है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना कक्षा XI से पीएचडी तक को कवर करता हैं जबकि मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल हैं। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (BHMNS), जो केवल कक्षा IX से XII तक की बालिकाओं के लिए थी, को 2022-23 से मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर योजना के साथ शामिल कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों और स्वीकृत राशि का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(i) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो मंत्रालय की पूर्ववर्ती पांच योजनाएं नामत: 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'उस्ताद', 'नई रोशनी' और 'हमारी धरोहर' को छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एकीकृत करता है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

क) कौशल और प्रशिक्षण घटक

ख) महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक

ग) शिक्षा सहायता घटक (स्कूल ड्रॉपआउट के लिए)

इसके अलावा, इस योजना का लक्ष्य लाभार्थियों के लिए ऋण और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना है। मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) :

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से सावधि ऋण, शिक्षा ऋण, विरासत योजना और सूक्ष्म वित्त योजना के तहत स्वरोजगार आय सृजन गतिविधियों के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यकों के बीच "पिछड़े वर्गों" को रियायती ऋण प्रदान करता है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान अर्थात वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने 14.11 लाख से अधिक लाभार्थियों को रियायती ऋण के रूप में 6182.50 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। 6182.50 करोड़ रुपए का यह रियायती ऋण संवितरण 1994 में अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा किए गए कुल संवितरण 8982.57 करोड़ रुपए का लगभग 69% है।

अवसंरचना विकास योजना

(i) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

देश की अल्पसंख्यक आबादी के कल्याण और वित्तीय सशक्तीकरण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं में से एक "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" (PMJVK), एक केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) है जिसका उद्देश्य देश में अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना परियोजनाएं विकसित करना है।

योजना के अंतर्गत शामिल प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केन्द्रित परियोजनाएं, पेयजल और आपूर्ति, स्वच्छता, खेल आदि है। योजना के अंतर्गत शामिल अवसंरचना में स्कूल भवन (आवासीय स्कूल सहित), लड़कों और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, स्टेडियम, सामुदायिक सेवा केंद्र, शौचालय ब्लॉक,

आईटीआई संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, कौशल केंद्र आदि शामिल हैं, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, महिला केन्द्रित सुविधाओं आदि में सुधार हो सके।

आज तक, इस योजना के अंतर्गत स्कूल भवनों, छात्रावासों, कौशल केंद्रों, कॉलेज भवनों, आवासीय स्कूल भवनों, अस्पतालों, स्टेडियमों, महिला केंद्रित सुविधाओं आदि का निर्माण हेतु लगभग 11 लाख इकाइयों को मंजूरी दी गई है (जिनमें लगभग 5 लाख गैर-बुनियादी ढांचा इकाइयां शामिल हैं) जिसकी राशि 25027.33 करोड़ रुपये है।

वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीजीओएस को अनुमोदित लागत का वर्षवार विवरण **अनुबंध-III में दिया गया है** ।

सभी योजनाओं ने उच्च स्तरीय कौशल प्राप्ति, आजीविका के बेहतर अवसर, उच्च रोजगार क्षमता, बेहतर बुनियादी ढांचे तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान दिया है।

*****

अनुबंध-I

"अल्पसंख्यकों का कल्याण और वित्तीय सशक्तीकरण" के संबंध में श्रीमती हेमामालिनी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2024 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2687 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुबंध

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना वर्ष-वार 2014-15 से 2021-22 तक		
वर्ष	**कुल लाभार्थी**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)**
2015-16	51,78,779	906.22
2016-17	41,53,524	749.43
2017-18	53,11,257	1078.42
2018-19	56,91,854	1264.29
2019-20	55,68,025	1424.55
2020-21	52,39,964	1192.42
2021-22	57,10,789	1329.17
कुल	**4,43,50,785**	**9073.31**
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष-वार 2014-15 से 2021-22 तक		
वर्ष	**कुल लाभार्थी**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)**
2014-15	9,05,620	501.11
2015-16	6,66,840	385.72
2016-17	6,24,990	361.42
2017-18	6,98,069	413.84
2018-19	6,84,265	423.15
2019-20	7,43,141	482.65
2020-21	6,63,316	401.30
2021-22	7,20,093	469.58
कुल	**57,06,334**	**3438.77**
मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना वर्षवार 2014-15 से 2021-22 तक		
वर्ष	**कुल लाभार्थी**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)**
2014-15	1,38,770	381.27
2015-16	1,33,582	357.98
2016-17	1,21,937	323.76
2017-18	1,19,472	324.87
2018-19	1,17,771	315.94
2019-20	1,18,359	315.63
2020-21	1,20,371	317.86
2021-22	1,31,810	352.87
कुल	**10,02,072**	**2690.17**

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना वर्ष-वार 2014-15 से 2021-22 तक		
वर्ष	**कुल लाभार्थी**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)**
2014-15	756	0.12
2015-16	756	55.52
2016-17	756	119.92
2017-18	756	124.87
2018-19	1,000	97.85
2019-20	1,251	100
2020-21	608	73.50
2021-22	1,074	74.00
कुल	**6,957**	**645.78**
पढो परदेश योजना वर्ष-वार 2014-15 से 2021-22 तक		
वर्ष	**कुल लाभार्थी**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)**
2014-15	1,083	3.50
2015-16	1,779	4.15
2016-17	1,781	4.00
2017-18	1,711	17.00
2018-19	2,495	45.00
2019-20	3,238	14.43
2020-21	3,656	20.20
2021-22	4,622	22.15
कुल	**20,365**	**130.43**

अनुबंध-II

"अल्पसंख्यकों का कल्याण और वित्तीय सशक्तीकरण" के संबंध में श्रीमती हेमामालिनी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2024 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2687 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक मंत्रालय की विभिन्न कौशल एवं महिला सशक्तीकरण योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या				
वर्ष	**नई रोशनी**	**नई मंज़िल**	**सीखो और कमाओ**	**उस्ताद**
2014-15	71075	-	20494	-
2015-16	58725	-	67427	-
2016-17	69125	68587	63368	14218
2017-18	47475	30125	112462	-
2018-19	50600	-	100539	7393
2019-20	26625	-	81256	-
2020-21	13675	-	22817	-
कुल	337300	98712	468363	21611